



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022021-224969
CG-DL-E-05022021-224969

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]
No. 01]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2021/माघ 16, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021/MAGHA 16, 1942

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2021

आ.अ. 1(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित, अपनी अधिसूचना सं. 434/आं.प्र.-लो.स./2019, दिनांक 15 मार्च, 2019, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना, जो उक्त तालिका के स्तम्भ (1) में दर्शाए गए निम्नलिखित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में है, से संलग्न तालिका के स्तम्भ (2) में मौजूदा प्रविष्टियों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सामने दर्शाई गई क्रम सं. 1 स्थित प्रविष्टि, नीचे स्तंभ (2) की प्रविष्टि से प्रतिस्थापित की जाएगी:-

तालिका

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम	सहायक रिटर्निंग अधिकारी	
(1)	(2)	
23-तिरुपति (अ.जा.)	1	नगरपालिका आयुक्त, एनएमसी, नेल्लोर

[सं. 434/आं.प्र.-लो.स./2020(2)]

आदेश से,

अविनाश कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 2021

O.N. 1(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the State Government of Andhra Pradesh, hereby makes the following further amendments in its Notification No. 434/AP-HP/2019, dated 15th March, 2019, as amended from time to time, relating to the appointment of Assistant Returning Officers of the Parliamentary Constituencies in the state of Andhra Pradesh, namely:-

For the existing entries in column (2) of the table appended to the said notification, in respect of the following Parliamentary Constituency shown in column (1) of the said table, the entry at S. No. 1 shown against the Parliamentary Constituency, the entry below in column (2) shall be substituted:-

TABLE

No. & Name of the Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer	
(1)		(2)
23-Tirupathi (SC)	1	Municipal Commissioner, NMC, Nellore

[No. 434/AP-HP/2020(2)]

By Order,

AVINASH KUMAR, Secy.